न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.03.2025	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 उपस्थित। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पर उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसवा में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण में तीन–चार दिन की ही तारीख पेशी दी जा रही है। प्रार्थी को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जा रहा है और ना ही प्रकरण में कानूनी प्रक्रियाओं की पालना की जा रही है। प्रकरण की सुनवाई के दौरान पीठासीन अधिकारी का रवैया न्यायिक अधिकारी की बजाय प्रशासनिक अधिकारी के रूप में रहता है। न्यायालय की कार्यवाही के दौरान पीठासीन अधिकारी का झुकाव उक्त प्रकरण में पूर्णतया प्रतिवादी रामकेदार की ओर स्पष्ट नजर आता है। प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बसवा से न्याय मिलने की कोई सम्भावना नहीं हैं। न्याय पूर्ण निस्तारण के लिये पत्रावली को दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावे। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने एवं अप्रार्थीगण को परेशान करने की नीयत से पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बसवा पर बिना किसी साक्ष्य सबूत के मनगढन्त एवं झूंठे आरोप लगाकर विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। फिर भी प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रकरण अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा उपखण्ड अधिकारी बसवा से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसवा में विचाराधीन मुकदमा नम्बर 257/2022 उनवानी रामकिशन बनाम रामकेदार वगैरा को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसवा से न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रैक) बांदीकुई में स्थानान्तरित किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी बसवा को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण से सम्बन्धित उक्त मूल पत्रावली न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रैक) बांदीकुई को दिनांक 08.05.2025 से पूर्व भिजवाई जावे। उभयपक्षकारान प्रकरण की सुनवाई हेतु दिनांक 08.05.2025 को न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रैक) बांदीकुई में पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बसवा एवं न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रैक) बांदीकुई को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं प्रविष्ट अभिलेखागार की जावे। निर्णय आज दिनांक 27.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Ramswaroop Chauhan Date: 2025.06.30 10:26:22 IST Reason: SelfAttested रामस्वरूप चौहान अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा	

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official